

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 मार्च 2020—फाल्गुन 28, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2020

क्र. एफ-बी-5-01-2020-2-पांच-(28).—मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1952 (क्रमांक 17 सन् 1952) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिनेमा (वीडियो कैसेट रिकार्डर/प्लेयर द्वारा फ़िल्म प्रदर्शन) नियम, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अध्याय 1 के नियम 1 के उप-नियम (1) में, शब्द “(वीडियो कैसेट रिकार्डर/प्लेयर द्वारा फ़िल्म प्रदर्शन)” के स्थान पर, शब्द “(वीडियो कैसेट/रिकार्डर/प्लेयर/मिनिप्लेक्स/डिजिटल/सेटेलाईट या अन्य द्वारा फ़िल्म प्रदर्शन)” स्थापित किए जाएं।
2. अध्याय 1 के नियम 2 के उप-नियम (ग) में, शब्द “(वीडियो कैसेट रिकार्डर/प्लेयर)” के स्थान पर, शब्द “(वीडियो कैसेट रिकार्डर/प्लेयर/ मिनिप्लेक्स/डिजिटल/सेटेलाईट या अन्य)” स्थापित किए जाएं।
3. अध्याय 3 के नियम 12 में, शब्द “उसके जारी या नवीनीकरण किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए” के स्थान पर, शब्द “उसके जारी या नवीनीकरण किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए” स्थापित किए जाएं।
4. अध्याय 4 के नियम 15 में, शब्द “(वीडियो कैसेट रिकार्डर/प्लेयर)” के स्थान पर, शब्द “(वीडियो कैसेट रिकार्डर/प्लेयर/मिनिप्लेक्स/डिजिटल/सेटेलाईट या अन्य)” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2020

क्र. बी-5-01-2020-2-पांच-(28).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-5-01-2020-2-पांच, (28), दिनांक 16 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

227

एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 16th March 2020

No. F-B-5-01-2020-2-V (28).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Madhya Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1952 (No. XVII of 1952), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Cinema (Exhibition of Films by video cassette recorder/ player) Rules, 1983, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In sub-rule (1) of rule 1 of Chapter 1, for the words “(Exhibition of Films by Video Cassette Recorder/ Player)”, the words “(Exhibition of Films by Video Cassette Recorder/ Player/ Miniplex/Digital/ Satellite or others)” shall be substituted.
2. In sub-rule (c) of rule 2 of Chapter 1, for the words “(Video Cassette Recorder/ Player)”, the words “(Video Cassette Recorder/ Player/ Miniplex/Digital/Satellite or others)” shall be substituted.
3. In rule 12 of Chapter 3, for the words “for a period of one year from the date of its issue or renewal” the words “for a period of five years from the date of its issue or renewal” shall be substituted.
4. In rule 15 of Chapter 4, for the words “(Video Cassette Recorder/ Player)”, the words “(Video Cassette Recorder/ Player/ Miniplex/Digital/Satellite or others)” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.